न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2022/221)

प्रकरण संख्याः– 206/2022
तारीख दायरः– 13/09/2022
निर्णय दिनांकः–29/10/2025

उनवान

1. पुष्पादेवी पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी शक्करगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान हाल निवासी पत्नी नैनूसिंह जाति रावत निवासी बिलियावास तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. कमला पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी शक्करगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान हाल निवासी पत्नी मुकेशसिंह जाति रावत निवासी आर0टी0ओ ऑफिस चन्द्रा कॉलोनी प्रतापनगर उदयपुर।
3. मीरादेवी पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी शक्करगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान हाल निवासी पत्नी गणपतसिंह जाति रावत निवासी बगडी तहसील रायपुर जिला पाली।

प्रार्थीगण।

बनाम

1. मुकेशसिंह पुत्र वालमसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
2. पूरणलाल पुत्र भैराराम जाति सालवी निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
3. मोहनसिंह पुत्र गेनसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
4. भैरूसिंह पुत्र करमसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
5. वन्नासिंह पिता करमसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
6. भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
7. नैनासिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
8. कविता पत्नी गोपालसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
9. भंवरसिंह पिता नारायणसिंह जाति रावत निवासी शक्कगरढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़, तहसील देवगढ़

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 04 से 09 की खातेदारी आराजियात ग्राम शक्करगढ़ पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 273 आराजी संख्या 1050 रकबा 2.4000 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त आराजियात के अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 पडौसी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, लगायत 08 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 10 पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। बहस पर पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा **है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी (सहखातेदार) भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है।** अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम घाटी पटवार सर्कल घाटी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 273 आराजी संख्या 1050 रकबा 2.4000 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)